

19-7-22

पत्रावली आज पेश हुई। वकील इजरायदार व पैरोकार सरकार उपास्थित। तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से इजराय की पालना रिपोर्ट प्राप्त, जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में अब किसी प्रकार की कार्यवाही लाम्बित नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल खुसर होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

19.7.22

